

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, रविवार दिनांक 3 जनवरी 2021—पौष 13, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2021

क्र. एफ-3-6-2020-एक (1)-29.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के संविधान की धारा 164 के अन्तर्गत निम्नलिखित विधायकों को मंत्री नियुक्त किया हैं:—

1. श्री तुलसीराम सिलावट
2. श्री गोविन्द सिंह राजपूत

मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा नियुक्त उक्त मंत्रियों ने संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार, आज अपराह्न 12.30 बजे पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपने पद ग्रहण किये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2021

क्र. एफ-3-6-2020-एक (1)-30.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-6-2020-एक (1)-29, दिनांक 3 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 3rd January 2021

No. F-3-6-2020-ONE (1) 29.—The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister, under Article 164 of the Constitution of India has been pleased to appoint the following as Ministers:—

1. Shri Tulsiram Silawat
2. Shri Govind Singh Rajput

The above mentioned Ministers appointed by the Governor took Oaths of Office and of Secrecy as required under clause (3) of Article 164 of the Constitution and entered upon their offices today at 12.30 afternoon.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.